रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259539 CG-DL-E-19122024-259539

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5084]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2024/अग्रहायण 28, 1946

No. 5084]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYANA 28, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5492(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (छठा) संशोधन आदेश 2024 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में,
 - (i) खंड 28 (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - (i) "(28 ख क) नैनो उर्वरक के मामले में, निरीक्षक द्वारा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बनाए गए तीन भागों में से एक भाग या तो तमिलनाडु कृषि विश्विधालय, कोयम्बटूर या राष्ट्रीय परीक्षणशाला

8204 GI/2024 (1)

गाजियाबाद को भेजा जाएगा तथा एक भाग निर्माता या डीलर को दिया जाएगा तथा तीसरा भाग पदाभिहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।"

- (ii) खंड 29 (1 ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - 29(1 घ) निरीक्षक द्वारा लिए गए नैनो उर्वरक नमूने का विश्लेषण तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर या राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गाजियाबाद में अनुसूची II भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- 3. उक्त आदेश की अनुसूची II, भाग क में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंतः स्थापित, अर्थात्,-
 - "10. नैनो उर्वरकों के नमूने लेने की पद्धति"
 - (i) उर्वरक निरीक्षक एक ही बैच की तीन बोतलें नमूने के रूप में लेगा तथा इन नमूनों पर लगे लेबल को विरूपित किया जाएगा और बोतल पर जेनेरिक नाम, नमूना लेने की तारीख और कोड संख्या वाला लेबल चिपकाया जाएगा तथा नमूने को कपड़े के थैले में रखा जाएगा और निरीक्षक की मुहर से सील किया जाएगा।
 - (ii) फॉर्म 'पी' के साथ नमूना युक्त सीलबंद कपड़े के थैले को दूसरे कपड़े के थैले में रखा जाएगा और निरीक्षक की मुहर से सील किया जाएगा तथा नैनो उर्वरक का पहचान योग्य विवरण जैसे कोड संख्या, नमूना लेने की तारीख, जेनेरिक नाम को कपड़े के थैले पर चिपकाया जाएगा।
 - (iii) एकत्र किए गए तीन नमूनों में से, एक सीलबंद नमूना खंड 29 (1घ) के अधीन तिमलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय परीक्षणशाला को भेजा जाएगा। दूसरा नमूना यथास्तिथि निर्माता या डीलर को दिया जाएगा, तथा तीसरे नमूने को खंड 28 क के अधीन अधिसूचित अभिहित प्राधिकारी को निरीक्षक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेजा जायेगा"।

[फा. सं. 1-16/2022 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक सा.का.िन. 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्यांक का. आ. 5384 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2024

- **S.O. 5492(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -
- 1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Sixth) Amendment Order, 2024.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in their Official Gazette
- 2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said order), -

(i) After clause 28 B, the following clause shall be inserted, namely:-

- (i) "(28BA) in case of Nano fertiliser, out of three parts made by the inspector as per the procedure specified in Schedule –II, one part shall be sent to either Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore or to National Test House, Ghaziabad and one part shall be given to the manufacturer or dealer and the third part shall be kept in custody of designated authority".
- (ii) after clause 29 (1C), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(1D) Nano Fertiliser sample drawn by the inspector shall be analyzed in accordance with the procedure specified in Schedule II Part B in Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore or National Test House, Ghaziabad".
- 3. In Schedule II, Part A of the said order, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-
 - "10. Method of sampling of Nano fertilisers"
 - (i) The Fertiliser Inspector shall take three bottles as sample of the same batch and the label affixed on these samples shall be defaced and a label containing the generic name, date of sampling and code number shall be pasted on the bottle and the sample shall be kept in cloth bag, sealed with Inspector seal.
 - (ii) The sealed cloth bag containing sample along with form 'P' shall be kept in another cloth bag and sealed with inspector seal and identifiable details such as code number, date of sampling, generic name of Nano fertiliser shall be put on the cloth bag.
 - (iii) Out of three samples collected, one sample sealed shall be sent to Tamil Nadu Agriculture University or National Test House under clause 29 (1D) and another sample shall be given to manufacturer or dealer, as the case may be and the third sample shall be sent by the inspector to the designated authority notified under clause 28A for safe custody".

[F. No. 1-16/2022 Fert Law] YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part –II, Section 3, sub-section ii vide G.S.R. number 758 (E) dated 25th September, 1985 and was last amended vide S.O. number 5384 (E) dated 13^{nth} December, 2024.